उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–5340–औ0सं0 / 2017–26(2)ए0एस0 / 06 दिनांक 01 दिसम्बर, 2017

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल / केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / कानपुर।

सर्वोच्च प्राथमिकता
अति महत्वपूर्ण

विषयः– वाहय सेवा प्रदाता–आऊट सोर्सिंग–(ठेकेदारों / संविदाकारों) द्वारा उपकेन्द्रों / लाईनों के अनुरक्षण आदि के कार्यं में नियोजित संविदा श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम कानूनो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश सं0–3032–औ0सं0 / 2016–26(2)ए0एस0 / 06 दिनांक 25.07.2016, आदेश सं0–4242–औ0सं0 / 2016–26(2)ए0एस0 / 06 दिनांक 24.10.2016 एवं आदेश सं0–4925–औ0सं0 / 2016–26(2)ए0एस0 / 06 दिनांक 30.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाहय सेवा प्रदाता / संविदाकार द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा कराये जाने, इन श्रमिकों का दुर्घटना बीमा कराये जाने, संविदा में प्रशिक्षित श्रमिकों को नियोजित करने, सुरक्षा व श्रम कानूनो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, ई0पी0एफ0 की कटौती सुनिश्चित करने एवं क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त कार्यालय में जमा कराने के साथ–साथ यह भी निर्देशित किया गया था कि कारपोरेशन के आदेशों का पालन न करने वाले **संविदाकारो के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने** एवं कारपोरेशन के आदेशों का पालन न करने वाले सम्बन्धित **अधिशासी अभियन्ताओं के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही** कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

कारपोरेशन प्रबन्धन के समक्ष विभिन्न माध्यमो, कर्मचारी संगठनो से यह संज्ञान में आ रहा है कि संविदा श्रमिकों के सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशो का अनुपालन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक नही किया जा रहा है **विशेषकर ई0पी0एफ0 अंशदान संविदा श्रमिक के खाते में न जमा कराये जाने की शिकायते प्राप्त हो रही है, जिसे कारपोरेशन के उच्च प्रबन्धन द्वारा गंभीरता से लिया गया है।** इसी क्रम में निर्देशित किया जाता है कि :–

1. वाहय् सेवा प्रदाता / संविदाकार द्वारा कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन द्वारा विकसित वेबसाइट **www.epfindia.gov.in** पर अपनी फर्म एवं नियोजित संविदा श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

2. सेवायोजक एवं श्रमिक का ई0पी0एफ0 अंशदान क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त कार्यालय में जमा किये गये जाने की पुष्टि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन की वेबसाइट **www.epfindia.gov.in** पर ऑनलाइन करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित संविदा श्रमिक के ई0पी0एफ0 खाते में विगत माह का श्रमिक एवं नियोजक का अंशदान जमा होने पर ही अगले माह का भुगतान संविदाकार को किया जाये।

3. एक खण्ड में एक से अधिक संविदाकारों से अनुबन्ध न किया जाये।

4. ई0पी0एफ0 के सम्बन्ध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। अतः खण्ड/मण्डल/क्षेत्रीय कार्यालय में संविदा/ई0पी0एफ0 से सम्बन्धित कार्य देख रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त कार्यालय से समन्वय कर प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाये।

5. प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु श्री अनिल कुमार प्रीतम, क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त–II, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से पत्राचार द्वारा, उनके मो0 नं0–9919554886 अथवा ई–मेल ro.lucknow@epfindia.gov.in पर सम्पर्क कर सकते है।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये तथा डिस्काम की समीक्षा बैठक में भी अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये।

~~संलग्नक :– यथोपरि।~~

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–5340–औ0सं0/2017, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्देशो से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित करते हुये आवश्यक कार्यवाही कराये।
7. श्री अनिल कुमार प्रीतम, क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त–II, कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)